28.02.20 | वकु० उप०।
मूल वाद। प्रा० प० मे निर्णय पारित हो जाने से उक्त प्रा० प० को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। फलस्वरूप प्रा. प. खारिज (Drop) किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 15:59:30 IST
Reason: SelfAttested